

ऐरा बिल्डिंग,
प्रशासनिक काम्पलेक्स,
सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003

जारी करने की तारीख: 11 मई, 2017

सेवा: कार्गो हैंडलिंग सेवाएं

सेवा प्रदाता : मैसर्स दिल्ली कार्गो सर्विस सेन्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी)।

एयरपोर्ट : आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली।

आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) द्वारा प्रस्तुत दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्ष टैरिफ प्रस्ताव और दूसरी नियंत्रण अवधि के पहले टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।

1. प्राधिकरण ने 07.10.2011 के अपने बहु-वर्ष टैरिफ ऑर्डर (MYTO) आदेश संख्या 13/2011-12 द्वारा डीसीएससी के संबंध में पहली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफों के निर्धारण के लिए 'लाइट टच दृष्टिकोण' को अपनाने का निर्णय लिया है चूंकि कार्गो सेवा का मूल्यांकन "मैटिरियल लेकिन प्रतिस्पर्धी" के रूप में किया गया था। इसके बाद, प्राधिकरण ने 21.05.2012 के अपने आदेश संख्या 5/2012-13 द्वारा डीसीएससी के संबंध में पहले टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2011-12) और दूसरे टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2012-13) के लिए वार्षिक टैरिफों को भी निर्धारित किया। प्राधिकरण ने 31.07.2013 के आदेश संख्या 30/2013-14 द्वारा तीसरे टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2013-14) के लिए शुल्क निर्धारित किया और दिनांक 06.02.2015 के आदेश संख्या 18/2014-15 द्वारा चौथा टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2014-15) के लिए टैरिफ निर्धारित किया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने 04.11.2015 के आदेश संख्या 39/2015-16 द्वारा पहली नियंत्रण अवधि के पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2015-16) के लिए टैरिफ निर्धारित किया।
2. प्राधिकरण ने 31.03.2016 के अपने आदेश संख्या 50/2015-16 द्वारा 30.09.2016 तक या दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए 31.03.2016 को विद्यमान टैरिफों की लेवी जारी रखने के लिए एओ/आईएसपी को अनुमति दी है। प्राधिकरण ने 29.09.2016 के आदेश संख्या 11/2016-17 के द्वारा 31.03.2016 के टैरिफों की लेवी को 31.03.2017 तक या दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफों के निर्धारित करने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए बढ़ाया। प्राधिकरण ने 31.03.2017 के अपने आदेश संख्या 19/2016-17 के द्वारा 31.03.2016 को टैरिफों की लेवी को 30.09.2017 तक या दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफों के निर्धारित करने तक जो भी पहले हो के लिए और आगे बढ़ा दिया।
3. मैसर्स डीसीएससी ने आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफों के निर्धारण के लिए पांच वर्षों की दूसरी नियंत्रण अवधि जोकि 01.04.2016 से शुरू होकर 31.03.2021 तक है के लिए अपना ऑनलाइन बहुवर्ष टैरिफ प्रस्ताव (MYTP)/वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (ATP) प्रस्तुत किया। डीसीएससी ने दूसरी नियंत्रण अवधि के पहले टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए टैरिफों में 7% की वृद्धि की मांग की है। मैसर्स डीसीएससी ने पहली नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक अनुपालन विवरणी (एसीएस) भी दी है।

4. प्रमुख विमानपत्तनों पर कार्गो सुविधा के लिए प्रदान की गई विनियमित सेवा (ओं) के लिए सीजीएफ दिशा निर्देशों, 2011 की धारा 4.3 के अनुसार, प्राधिकरण मानता है कि:
- क. सेवा की मैटिरिअलिटी प्रमुख विमानपत्तनों पर कार्गो की मात्रा से जुड़ी है। मैटिरिअलिटी का आकलन सभी प्रमुख विमानपत्तन पर एमटी में कार्गो वॉल्यूम की प्रतिशतता के रूप में मीटरी टन (एमटी) में कार्गो वॉल्यूम के आधार पर किया जाएगा। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कार्गो सांख्यिकी के आधार पर आईजीआई हवाई अड्डे के लिए कार्गो वॉल्यूम का प्रतिशतता का हिस्सा 27.98% है जो सेवा विषय के लिए तय की गई 2.5% मैटिरिअलिटी इंडेक्स अवसीमा (Threshold Limit) से अधिक है। इसलिए सेवा 'मैटिरिअल' समझी गई है।
- ख. प्रतिस्पर्धा आकलन पर फॉर्म एफ 1 (बी) में, डीसीएससी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, मैसर्स सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में भी इसी तरह की कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसलिए, आईजीआई हवाई अड्डे, दिल्ली में कार्गो सेवाएं 'प्रतिस्पर्धी' हैं।
- ग. मैटिरिअलिटी और प्रतिस्पर्धा के आकलन के आधार पर दिशा निर्देशों के खंड 3.2 के अनुसार, जब ऐसी विनियमित सेवा को 'मैटिरिअल लेकिन प्रतिस्पर्धी' समझा जाता है, तो प्राधिकरण नियंत्रण अवधि की अवधि के लिए 'लाइट टच' दृष्टिकोण के आधार पर सेवा प्रदाता(ओं) के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा। इसलिए आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में डीसीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली विनियमित सेवा 'मैटिरिअल लेकिन प्रतिस्पर्धी' है और टैरिफ निर्धारण के लिए 'लाइट टच दृष्टिकोण' के तहत आएगी।
5. प्राधिकरण ने डीसीएससी द्वारा किए गए अनुरोध को माना और 16.02.2017 के परामर्श पत्र संख्या 05/2016-17 को जारी किया और सार्वजनिक नोटिस संख्या 10/2016-17 के माध्यम से 28 फरवरी, 2017 को स्टैकहोल्डर परामर्श बैठक आयोजित की। इसके बाद, 17 मार्च, 2017 को सार्वजनिक रूप से (पब्लिक डोमेन) स्टैकहोल्डर परामर्श बैठक का कार्यवृत्त अपलोड किया गया।
6. मैसर्स डीसीएससी ने 28.03.2017 के अपने पत्र के माध्यम से ऐरा को बताया कि उन्होंने अनजाने में दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्ष टैरिफ प्रस्ताव (MYTP)/वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (ATP) फाईल करते समय अनजाने में एयरसाइड घरेलू कार्गो हैंडलिंग के टैरिफ कार्ड को छोड़ दिया था। मैसर्स डीसीएससी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम टैरिफ ऑर्डर में एयरसाइड घरेलू टैरिफ कार्ड को शामिल करने के लिए ऐरा से निवेदन किया। प्राधिकरण ने डीसीएससी की प्रस्तुति (सबमिशन) पर विचार किया और एक सार्वजनिक नोटिस संख्या 03/2017-18 जारी किया। जिसमें आईजीआई हवाई अड्डे, दिल्ली पर परिचालन करने वाले सभी स्टैकहोल्डर को सूचित किया कि डीसीएससी द्वारा दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए अपने पहले के बहुवर्ष टैरिफ प्रस्ताव (MYTP)/वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (ATP) प्रस्तुत करने में अनजाने में एयरसाइड घरेलू टैरिफों को छोड़ा गया था और उपर्युक्त सार्वजनिक नोटिस पर उनकी टिप्पणियां मांगी।
7. प्राधिकरण ने 28.04.2017 को आयोजित अपनी 173वीं बैठक में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परामर्श पत्र और सार्वजनिक नोटिस पर स्टैकहोल्डर से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया और डीसीएससी द्वारा पहले टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए टैरिफों में मांगी गई 7% की वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय किया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने दूसरे टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के टैरिफों की लेवी का विस्तार करने का निर्णय किया क्योंकि पहला टैरिफ वर्ष पहले ही खत्म हो चुका है।

आदेश

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री साथ ही साथ स्टेक होल्डरों द्वारा किए गए अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार करके आदेश दिया कि:

(i) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में कॉर्गो सुविधा सेवा प्रदायक मैसर्स दिल्ली कॉर्गो सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) द्वारा मैसर्स दिल्ली कॉर्गो सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) प्रदान की गई सेवाएं "महत्वपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी" हैं इसलिए प्राधिकरण ने दूसरी नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 तक) के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए 'लाइट टच' दृष्टिकोण को अपनाएगा।

(ii) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में मैसर्स दिल्ली कॉर्गो सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि के प्रथम टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए टैरिफों का निर्धारण संलग्न-1 के अनुसार है और दूसरे टैरिफ वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इसी स्तर पर लागू रहेगा। टैरिफों का लगाया जाना आदेश जारी किए जाने की तारीख से लागू किया जाएगा।

(iii) प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में मैसर्स दिल्ली कॉर्गो सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) को सलाह दी की वे स्टेकहोल्डरों द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार सेवा की गुणता और अन्य सुविधाओं में सुधार करें, शिकायत रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड को सही तरह से रखे और अपने प्रचालन में पारदर्शिता बनाए रखे।

(iv) उपर्युक्त निर्धारित टैरिफ अधिकतम होगा और विलंब शुल्क से मुक्त अवधि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी।

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह/-

(रामेन्द्र प्रताप शुक्ला)

उप प्रमुख

सेवा में,

मैसर्स दिल्ली कॉर्गो सर्विसिज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड,
कॉर्गो टर्मिनल -2, गेट नं. 6,
एयर कॉर्गो कॉम्प्लेक्स,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
नई दिल्ली -110037

(मार्फत: श्री.अविनाश राजदान, वी.पी. और सी.एफ.ओ.)

प्रतिलिपि : सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली -110003

आदेश संख्या 02/2017-18

स्टांप

(किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

दिल्ली कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड- आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली

टैरिफ- घरेलू कार्गो

फार्म 14 (बी) - घरेलू कार्गो

कार्गो का प्रकार		टैरिफ	
		2016-17 और 2017-18	
		अधिकतम दर रूपए प्रति किया	न्यूनतम दर रूपए प्रति एडब्ल्यूबी
घरेलू आऊटबाउंड कार्गो टर्मिनल, भंडारण (स्टोरेज) और प्रोसेसिंग प्रभार			
1) सामान्य कार्गो		0.91	54
2) विशेष कार्गो		2.14	107
घरेलू आऊटबाउंड कार्गो विलंब प्रभार		प्रति दिन प्रति किया	प्रति दिन
1) सामान्य कार्गो		1.07	54
2) विशेष कार्गो		2.41	54
घरेलू इनबाउंड कार्गो टर्मिनल, भंडारण (स्टोरेज) और प्रोसेसिंग प्रभार			
1) सामान्य कार्गो		0.80	54
2) विशेष कार्गो		1.93	107
घरेलू इनबाउंड कार्गो विलंब प्रभार		प्रति दिन प्रति किया	प्रति दिन
1) सामान्य कार्गो	निशुल्क अवधि के बाद और 5 दिनों तक	1.07	54
2) सामान्य कार्गो	5 दिनों से अधिक और 15 दिनों तक	1.61	54
1) विशेष कार्गो	निशुल्क अवधि के बाद और 5 दिनों तक	2.68	54
2) विशेष कार्गो	5 दिनों से अधिक और 15 दिनों तक	3.75	54
घरेलू आऊटबाउंड कार्गो हैंडलिंग प्रभार			
1) सामान्य कार्गो		1.18	54
2) विशेष कार्गो		1.87	856
घरेलू इनबाउंड कार्गो हैंडलिंग प्रभार			
1) सामान्य कार्गो		1.07	54
2) विशेष कार्गो		1.66	856
घरेलू कार्गो हैंडलिंग स्थानांतरण के लिए			
1) सामान्य कार्गो		1.44	0
2) विशेष कार्गो		1.44	0
घरेलू आऊटबाउंड कार्गो हैंडलिंग-दस्तावेज़ हैंडलिंग और डेटा प्रबंधन सहित पूर्ण हैंडलिंग			
1) सामान्य कार्गो		1.61	268
2) विशेष कार्गो		2.25	856
घरेलू इनबाउंड कार्गो हैंडलिंग-दस्तावेज़ हैंडलिंग और डेटा प्रबंधन सहित पूर्ण हैंडलिंग			
1) सामान्य कार्गो		1.44	268
2) विशेष कार्गो		2.14	856

घरेलू सिक्युरिटी हैंडलिंग			
यदि एक्स-रे/प्रत्यक्ष जांच शामिल है		2.41	268
यदि एक्स-रे/प्रत्यक्ष जांच शामिल नहीं है		1.34	107
अन्य प्रभार			
पेरेषिती को डिलीवरी के लिए शिपर बिल्ड यूएलडी की हैंडलिंग या पूर्ण यूएलडी की हैंडलिंग - प्रति किलो		लागू हैंडलिंग प्रभारों का 50%	लागू नहीं
विविध प्रभार (उपर्युक्त में से कोई नहीं) - अधिकतम टैरिफ @ प्रति किलो और न्यूनतम प्रभार @ प्रति एडब्ल्यूबी)		1.87	856
ड्राई आईस जांच सूची प्रभार प्रति - एडब्ल्यूबी		642	लागू नहीं
डीजीआर स्वीकृति शुल्क - प्रति एडब्ल्यूबी		1,284	लागू नहीं
जीवित पशु स्वीकृति जांच और डिलीवरी - प्रति एडब्ल्यूबी		1,070	लागू नहीं
मूल्यवान और अति संवेदनशील सामान की एस्कार्ट सेवा विमान से टर्मिनल तक जाने और आने के लिए- प्रति एडब्ल्यूबी		682	लागू नहीं
DGR शुल्क, यदि शिपमेंट 20 पीस से अधिक हो -प्रति अतिरिक्त यूनिट		54	लागू नहीं

टिप्पणी :-

1. मृतक के शव, ताबूत का प्रेषण इसमें मृतक का सामान और आंखें शामिल हैं इन्हें टीएसपी प्रभार के प्रसार से छूट दी जाएगी।
2. टीएसपी प्रभारों में टर्मिनल के अंदर फोर्कलिफ्ट उपयोग शामिल है। कोई अतिरिक्त फोर्कलिफ्ट प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
3. प्रेषण के "सकल भार" या प्रभार्य भार, जो भी अधिक होगा उस पर प्रभार लगाए जाएंगे। जहां भी "सकल भार" और (या) आयतन भार को एडब्लूबी में गलत दर्शाया है और वास्तव में अधिक पाया जाता है, तब "वास्तविक सकल भार" या "वास्तविक आयतनी भार" जो भी अधिक है, उस पर प्रभार लगाए जाएंगे।
4. विशेष कार्गो में विकारी और तापमान संवेदी उत्पाद, जीवित जानवर, संकटमय माल, मूल्यवान माल और/ या ऐसा कार्गो जिसके लिए विशेष हैंडलिंग/स्टोरेज अनुदेश अपेक्षित हैं/हैं और मूल्यवान कार्गो (वीएएल)** शामिल है।
5. **मूल्यवान कार्गो में सोने, बुलियन, मुद्रा नोट्स, प्रतिभूतियां, शेरर, शेरर कूपन, यात्री बैंक, हीरे (इसमें औद्योगिक उपयोग के लिए हीरे शामिल हैं), हीरे के आभूषण और चांदी, सोना, प्लैटिनम से बनी घाड़ियां और यूएसडी 1000 प्रति किलोग्राम और इससे अधिक मूल्य की मर्दे शामिल हैं।
6. घोषित भार से 2% अधिक और 5% तक भार की गलत घोषणा के लिए दंड स्वरूप प्रभार लागू टीएसपी प्रभार से दोगुणा की दर से लगाया जाएगा। 5% से अधिक वैभिन्न्य होने पर दंड स्वरूप प्रभार विभेदक भार पर लागू टीएसपी प्रभार से पांच (5) गुना की दर से लगाया जाएगा। 2% तक की विविधता के लिए कोई दंड प्रभार नहीं होगा। यह मूल्यवान कार्गो पर लागू नहीं होगा।
7. हालांकि हम किसी भी अन्य एजेंसियों को फैसिलिटी के अंदर काम करने की इजाजत नहीं देंगे, यदि किसी विशेष कारण से निर्यातकर्ता अपने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहता है तो ट्रक से माल ढुलाई और सीमा शुल्क जांच क्षेत्र और पैलेट तक लाने पर टीएसपी प्रभार में 5% की छूट दी जाएगी।
8. आईएटीए अधिनियम की नियम पुस्तक के क्लॉज- 5.7.2 में पूर्णांकन प्रक्रिया के अनुसार पूर्णांकित करते समय सभी बीजक को निकटतम रु 5 में पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए :-

जब परिकलनों (Calculations) के परिणाम बीच में/और होते हैं	पूर्णांकित राशि इस प्रकार होगी
102.5 -107.4	105
107.5 -112.4	110

9. प्रीमियम सेवा अनुरोध के मामले में, ऐसी सेवा सामान्य हैंडलिंग दरों पर 25% के प्रीमियम पर प्रदान की जाएगी।
10. विशेष कार्गो के लिए जिसमें विकारी और तापमान संवेदनशील उत्पाद हैं के लिए टीएसपी प्रभार विशेष कार्गो के लिए तभी लागू होंगे यदि तापमान नियंत्रण सुविधा उपलब्ध है अन्यथा सामान्य कार्गो टैरिफ ऐसे उत्पादों के लिए लागू होगा।
11. विलंब प्रभार एयरलाइन्स के लिए लागू होगा यदि निर्यात कार्गो के मामले में निशुल्क अवधि के बाद वेयरहाउस में सीमा शुल्क अदा किए गए कार्गो को स्टोर किया जाता है।
12. आयात कार्गो के मामले में विलंब शुल्क होगा यदि एयरलाइन की त्रुटि के कारण आयात कार्गो का पृथक्करण पूरा नहीं किया गया हो।
13. उपर्युक्त दी गई हैंडलिंग दरों में हैंडलिंग सेवाओं का कार्य शामिल है जिसमें प्रत्यक्ष (फिजिकल) हैंडलिंग, दस्तावेज हैंडलिंग और आईटी हैंडलिंग शामिल है।
14. हैंडलिंग दरें भिन्न होंगी जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि दस्तावेज हैंडलिंग फीस एयरलाइन द्वारा एकत्र की जाती है या डीसीएससी द्वारा।

(किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

दिल्ली कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड - आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली

टैरिफ- अंतरराष्ट्रीय कार्गो

फार्म 14 (बी) अंतरराष्ट्रीय कार्गो

क्र.सं.	कार्गो के प्रकार	टैरिफ	
		2016-17 और 2017-18	
		अधिकतम दर रूपए प्रति किग्रा	न्यूनतम दर रूपए प्रति एडब्ल्यूबी
क.	निर्यात (एक्सपोर्ट) कार्गो		
क.1	टर्मिनल, भंडारण और प्रोसेसिंग प्रभार		
क 1.1	सामान्य कार्गो	1.12	112
क 1.2	विशेष कार्गो		
क)	- फार्मा मर्दे	2.89	289
ख)	- जीवित जानवर	2.25	225
ग)	- संकटमय/खतरनाक माल	2.25	225
घ)	- मूल्यवान वस्तुएं**	2.25	225
ड)	- विकारी	2.89	289
च)	- समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण	2.25	225
छ)	- मृतक का शव, ताबूत इसमें मृतक का असंगी सामान और आंखें आदि शामिल हैं।	शून्य	शून्य
क.2	एक्स रे प्रभार		
क2.1	एक्स रे मशीन प्रभार (सीटी साइड)	1.23	123
	एक्स रे मशीन प्रभार (एयर साइड)	1.23	1070
क2.2	एक्स रे प्रमाणीकरण प्रभार (सीटी साइड)	2.14	214
	एक्स रे प्रमाणीकरण प्रभार (एयर साइड)	2.14	1070
क2.3	खतरनाक माल के लिए प्रमाणीकरण (सीटी साइड)	2.14	214
	खतरनाक माल के लिए प्रमाणीकरण (एयर साइड)	2.14	1070
क3	विलंब प्रभार - निर्यात कार्गो	प्रतिदिन प्रति किलोग्राम	प्रतिदिन
क3.1	सामान्य (सीटी साइड)	1.40	140
	सामान्य (एयर साइड)	1.61	लागू नहीं
क3.2	विशेष कार्गो		
क)	फार्मा मर्दे (सीटी साइड)	3.62	362
	फार्मा मर्दे (एयर साइड)	2.68	लागू नहीं
ख)	जीवित जानवर (सीटी साइड)	3.62	362
	जीवित जानवर (एयर साइड)	2.68	लागू नहीं
ग)	संकटमय/खतरनाक माल (सीटी साइड)	3.62	362
	संकटमय/खतरनाक माल (एयर साइड)	2.68	लागू नहीं
घ)	मूल्यवान माल** (सीटी साइड)	3.62	362
	मूल्यवान माल** (एयर साइड)	6.42	लागू नहीं
ड)	विकारी (सीटी साइड)	3.62	362
	विकारी (एयर साइड)	2.68	लागू नहीं
च)	समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण (सीटी साइड)	3.62	362
	समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण (एयर साइड)	2.68	लागू नहीं
छ)	- मृतक का शव, ताबूत इसमें मृतक का असंगी सामान और आंखें आदि शामिल हैं।	शून्य	शून्य

क4	कार्गो हैंडलिंग प्रभार		
क4	पेलिटाईजेशन/कंटेनराईजेशन/यूनिटाईजेशन/स्टफींग प्रभार		
क 4.1	सामान्य	2.25	1070
क 4.2	विशेष कार्गो		
क)	- फार्मा मर्दे	2.68	1070
ख)	- जीवित जानवर	2.68	1070
ग)	- संकटमय/खतरनाक माल	2.68	1070
घ)	- मूल्यवान माल**	2.68	1070
ड.)	- विकारी	2.68	1070
च)	- समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण	2.68	1070
छ)	- मृतक का शव, ताबूत इसमें मृतक का असंगी सामान और आंखें आदि शामिल हैं।	शून्य	शून्य
ख	आयात (इम्पोर्ट) कार्गो		
ख1	टर्मिनल, भंडारण और प्रोसेसिंग प्रभार		
ख1.1	सामान्य	6.05	321
ख1.2	विशेष कार्गो		
क)	- फार्मा मर्दे	10.43	535
ख)	- जीवित जानवर	10.43	535
ग)	- संकटमय/खतरनाक माल	10.43	535
घ)	- मूल्यवान माल**	10.43	535
ड.)	- विकारी	10.43	535
च)	- समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण	10.43	535
छ)	-मृतक का शव, ताबूत इसमें मृतक का असंगी सामान और आंखें आदि शामिल हैं।	शून्य	शून्य
बी2	कार्गो हैंडलिंग प्रभार		
बी2	डीपेलिटाईजेशन/डीस्टफींग/डीकंटेनराईजेशन/डीयूनिटाईजेशन प्रभार		
बी2.1	सामान्य	1.87	1070
बी1.2	विशेष कार्गो		
क)	- फार्मा मर्दे	2.41	1070
ख)	- जीवित जानवर	2.41	1070
ग)	- संकटमय/खतरनाक माल	2.41	1070
घ)	- मूल्यवान माल**	2.41	1070
ड.)	- विकारी	2.41	1070
च)	- समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण	2.41	1070
छ)	- मृतक का शव, ताबूत इसमें मृतक का असंगी सामान और आंखें आदि शामिल हैं।	शून्य	शून्य
बी3	विलंब प्रभार - आयात (इम्पोर्ट) कार्गो	प्रतिदिन प्रति किग्रा	प्रतिदिन
बी3.1	सामान्य (5 दिन तक)	1.87	375
	(5 से 30 दिन)	3.75	375
	(30 दिन से परे)	5.62	375
	एयरसाइड	1.61	लागू नहीं
बी 3.2	विशेष कार्गो		
	फार्मा मर्दे (5 दिन तक)	3.75	749

	(5 से 30 दिन तक)	7.49	749
	(30 दिन से परे)	11.24	749
	एयरसाइड	3.21	लागू नहीं
ख)	जीवित जानवर (5 दिन तक)	3.75	749
	(5 से 30 दिन तक)	7.49	749
	(30 दिनों से परे)	11.24	749
	एयरसाइड	3.21	लागू नहीं
ग)	संकटमय/खतरनाक माल (5 दिन तक)	3.75	749
	(5 से 30 दिन तक)	7.49	749
	(30 दिन से परे)	11.24	749
	एयरसाइड	3.21	लागू नहीं
घ)	मूल्यवान माल** (5 दिन तक)	7.49	1498
	(5 से 30 दिन तक)	13.91	1498
	(30 दिन से परे)	20.33	1498
	एयरसाइड	6.42	लागू नहीं
ड.)	विकारी (5 दिन तक)	3.75	749
	(5 से 30 दिन तक)	7.49	749
	(30 दिन से परे)	11.24	749
	एयरसाइड	3.21	लागू नहीं
च)	समाचार पत्र और टी.वी. रील परेषण (5 दिन तक)	3.75	749
	(5 से 30 दिन)	7.49	749
	(30 दिन से परे)	11.24	749
	एयरसाइड	3.21	लागू नहीं
छ)	- मृतक का शव, ताबूत इसमें मृतक का असंगी सामान और आंखें आदि शामिल हैं।	शून्य	शून्य

क्र. सं.	प्रभार	टैरिफ
		2016-17 और 2017-18
1.	टर्मिनल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग (टीएसपी) प्रभार	
	निर्यात	विशेष कार्गो- परियोजना/भारी कार्गो 3.21 रुपये प्रति किलोग्राम बशर्ते कि न्यूनतम रूपए 3210 प्रति एडब्ल्यूबी है
	आयात	विशेष कार्गो- परियोजना/भारी कार्गो 11.77 प्रति किलोग्राम बशर्ते कि न्यूनतम रूपए 11,770 प्रति एडब्ल्यूबी है
2.	अन्य प्रभार (यदि शिपर के लिए प्रभार्य है)-सेवाएं सिर्फ मांग पर	
2.1	विशेष हैंडलिंग (औषधीय, अनुरोध पर उत्पाद तापमान को बनाए रखने के लिए)	रूपए 2140/पैलिट
	स्ट्रैपिंग प्रभार	रूपए 16/- प्रति पैकेज
	ड्राई आईस चेकलिस्ट प्रभार	आईएनआर 1070/- प्रति एडब्ल्यूबी
	डीजीआर स्वीकृति फीस	आईएनआर 2140/- प्रति एडब्ल्यूबी
	जीवित पशु निर्यात स्वीकृति प्रभार	आईएनआर 2140/- प्रति एडब्ल्यूबी
	निर्यात विकारी तापमान सीएचएम के अनुसार जांच करें।	आईएनआर 161/- प्रति एडब्ल्यूबी
	पूर्ण एचएडब्ल्यूबी डाटा अभिग्रहण (Capture) प्रभार	आईएनआर 54/- प्रति एडब्ल्यूबी बशर्ते कि न्यूनतम आईएनआर 535/- है
	डीजीआर फीस यदि शिपमेंट 20 पीस से अधिक है	आईएनआर 54/- प्रति अतिरिक्त यूनिट
	एक्सप्रेस सेवा	रूपए 1.40/किलोग्राम बशर्ते कि न्यूनतम रूपए 1.40 प्रति एडब्ल्यूबी है या जिस श्रेणी में कार्गो आता है उसकी टीएसपी दर से 25% से अधिक (इनमें से जो भी अधिक हो)
	शहर वापसी	लागू टीएसपी प्रभार का 50 %

2.2	आयात	डिलिवरी ऑर्डर शुल्क	रुपए 2140 प्रति एमएडब्ल्यूबी
		एचएडब्ल्यूबी जारी रखने का प्रभार	रुपए 1391 प्रति एचएडब्ल्यूबी
		एक्सप्रेस सेवाएं	रुपए 7.55 प्रति किलोग्राम बशर्ते कि न्यूनतम रुपए 535 प्रति एडब्ल्यूबी या जिस श्रेणी में कॉर्गो आता है उसकी टीएसपी दर से 25% से अधिक (इनमें से जो भी अधिक हो)
		स्ट्रैपिंग और पुनःपैकिंग प्रभार	रुपए 16/ पैकेज
2.3	सामान्य	यूएलडी का श्रिंक रैप	रुपए 2140 प्रति यूएलडी सामग्री सहित
		यूरो पैलिट श्रिंक रैप	रुपए 321 प्रति यूरो पैलिट/स्किड
		एयरसाइड कूल कंटेनर	रुपए 2140 प्रति यूएलडी प्रति एक तरफ फेरा
		पुनःपैकिंग प्रभार	न्यूनतम प्रभार रुपए 54 प्रति एडब्ल्यूबी; पैकिंग/पुनः पैकिंग प्रभार रुपए 16 प्रति पैकेज होगा
		पालतू पशु सहायता	रुपए 1070/- प्रति एडब्ल्यूबी
		नई लकड़ी की स्किड से पुनःपैक करना	रुपए 535 प्रति स्किड
		विविध प्रभार (उपर्युक्त में से कोई नहीं)	रुपए 2.68 प्रति किलोग्राम (बशर्ते कि न्यूनतम रुपए 535 प्रति एडब्ल्यूबी है)
2.4	आयात सामान्य कार्गो (10 दिनों के पहले स्लैब के लिए)	भंडारण प्रभार	रुपए 26.75 प्रति किग्रा
	आयात सामान्य कार्गो (पहले 10 दिनों के परे और प्रत्येक 10 दिनों के स्लैब के लिए)	भंडारण प्रभार	रुपए 29.66 प्रति किग्रा
2.5	आयात विकारी कार्गो (10 दिनों के पहले स्लैब के लिए)	भंडारण प्रभार	रुपए 55.64 प्रति किग्रा
	आयात विकारी कार्गो (पहले 10 दिनों के परे और प्रत्येक 10 दिनों के स्लैब के लिए)	भंडारण प्रभार	रुपए 60.99 प्रति किग्रा

3	स्थानांतरण कार्गो के लिए कार्गो हैंडलिंग	एयरसाइड प्रभार	रूपए 2.35 प्रति किग्रा
4	परेषिती को डिलिवरी के लिए शिपर बिल्ड यूएलडी की हैंडलिंग या पूर्ण यूएलडी की हैंडलिंग	एयरसाइड प्रभार	लागू हैंडलिंग प्रभार का 50%
5	विविध प्रभार (उपर्युक्त में से कोई नहीं)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 2.68 प्रति किग्रा (बशर्ते कि न्यूनतम रूपए 1070 प्रति उड़ान है)
6	ड्राई आईस चेकलिस्ट (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 1070 प्रति एडब्ल्यूबी
7	डीजीआर स्वीकृति शुल्क (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 2140 प्रति एडब्ल्यूबी
8	जीवित पशु स्वीकृति जांच और डिलिवरी (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 2140 प्रति एडब्ल्यूबी
9	निर्यात विकारी तापमान जांच (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 161 प्रति एडब्ल्यूबी
10	विमान में जाने और आने के लिए वैल्यूएबल एस्कार्ट सेवाएं (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 1177 प्रति एडब्ल्यूबी
11	पूर्ण एचएडब्ल्यूबी डेटा कैप्चर प्रभार (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 54 प्रति एडब्ल्यूबी
12	यूएलडी सफाई प्रभार प्रति यूनिट	एयरसाइड प्रभार	रूपए 5350 प्रति यूनिट
13	डीजीआर शुल्क- यदि शिपमेंट 20 से अधिक पीस प्रति यूनिट है	एयरसाइड प्रभार	रूपए 54 प्रति अतिरिक्त यूनिट

14	विशेष हैंडलिंग (औषधीय (फार्मास्यूटिकल), तापमान) प्रति यूनिट	एयरसाइड प्रभार	रूपए 2140 प्रति यूनिट
15	प्रभार संग्रह शुल्क (प्रति एडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	संग्रहयोग्य राशि का 10% (बशर्ते कि न्यूनतम रूपए 535 है)
16	डिलिवरी आर्डर शुल्क (प्रति एमएडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 2140 प्रति एमएडब्ल्यूबी
17	एचएडब्ल्यूबी डिलिवरी प्रभार (प्रति एमएडब्ल्यूबी)	एयरसाइड प्रभार	रूपए 1391 प्रति एमएडब्ल्यूबी

टिप्पणी :-

1. मृतक के शव, ताबूत का प्रेषण इसमें मृतक का सामान और आंखें इसमें शामिल हैं इन्हें टीएसपी प्रभार के प्रसार से छूट दी जाएगी।
2. टीएसपी प्रभारों में टर्मिनल के अंदर फोर्कलिफ्ट उपयोग शामिल है। कोई अतिरिक्त फोर्कलिफ्ट प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
3. प्रेषण के "सकल भार" या प्रभार्य भार, जो भी अधिक होगा उस पर प्रभार लगाए जाएंगे। जहां भी "सकल भार" और (या) आयतन भार को एडब्ल्यूबी में गलत दर्शाया है और वास्तव में अधिक पाया जाता है, तब "वास्तविक सकल भार" या "वास्तविक आयतनी भार" जो भी अधिक है, उस पर प्रभार लगाए जाएंगे।
4. विशेष कार्गो (विषम आकार और भारी कार्गो) ऐसे कार्गो हैं जिनके लिए विशेष हैंडलिंग/भंडारण अनुदेश अपेक्षित है/हैं। इसमें भारी कार्गो भी शामिल है जिसमें कोई एकल विशेष पीस का सकल भार या वाल्यूम भार 1 टन या इससे अधिक हो।
5. मूल्यवान कार्गो में सोने, बुलियन, मुद्रा नोट्स, प्रतिभूतियां, शेयर, शेयर कूपन, यात्री चैक, हीरे (इसमें औद्योगिक उपयोग के लिए हीरे शामिल हैं), हीरे के आभूषण और चांदी, सोना, प्लैटिनम से बनी घड़ियां और यूएसडी 1000 प्रति किलोग्राम और इससे अधिक मूल्य की मर्दे शामिल हैं।
6. विलंब-शुल्क रहित अवधि समय- समय पर जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार होगी।
7. हालांकि हम किसी भी अन्य एजेंसियों को फैसिलिटी के अंदर काम करने की इजाजत नहीं देंगे, यदि किसी विशेष कारण से निर्यातकर्ता अपने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहता है तो ट्रक से माल ढुलाई और सीमा शुल्क जांच क्षेत्र और पैलेट तक लाने पर टीएसपी प्रभार में 5% की छूट दी जाएगी।
8. आईएटीए अधिनियम की नियम पुस्तक के क्लॉज- 5.7.2 में पूर्णांकन प्रक्रिया के अनुसार पूर्णांकित करते समय सभी बीजक को निकटतम रु 5 में पूर्णांकित किया जाएगा जब पूर्णांकित यूनिट 5 है।

जब परिकलनों (Calculations) के परिणाम बीच में/और होते हैं	पूर्णांकित राशि इस प्रकार होगी
102.5 -107.4	105
107.5 -112.4	110

9. प्रीमियम सेवा अनुरोध के मामले में, ऐसी सेवा सामान्य हैंडलिंग दरों पर 25% के प्रीमियम पर प्रदान की जाएगी।
10. विशेष कार्गो में विकारी और तापमान संवेदनशील उत्पाद, जीवित पशु, संकटमय माल, मूल्यवान माल और/ या कोई अन्य ऐसा कार्गो शामिल है जिसके लिए विशेष हैंडलिंग/भंडारण अनुदेश अपेक्षित है/ है।
11. घोषित भार से 2% अधिक और 5% तक भार की गलत घोषणा के लिए दंडस्वरूप प्रभार लागू टीएसपी प्रभार से 2 गुणा की दर से लगाया जाएगा 5% से अधिक वैभिन्य होने पर दंडस्वरूप प्रभार 5 गुणा की दर से लगाया जाएगा।
12. विविध प्रभार में उपर्युक्त टैरिफ चार्ट में पहले से उल्लिखित सेवाओं के अलावा ग्राहकों से विशेष सेवा अनुरोध शामिल हैं।
13. विलंब प्रभार एयरलाईन्स के लिए लागू होगा यदि निर्यात कार्गो के मामले में निशुल्क अवधि के बाद वेयरहाउस में सीमा शुल्क अदा किए गए कार्गो को स्टोर किया जाता है।
14. आयात कार्गो के मामले में विलंब शुल्क होगा यदि एयरलाइन की त्रुटि के कारण आयात कार्गो का पृथक्करण पूरा नहीं किया गया हो।
15. उपर्युक्त दी गई हैंडलिंग दरों में हैंडलिंग सेवाओं का कार्य शामिल है जिसमें प्रत्यक्ष (फिजिकल) हैंडलिंग, दस्तावेज हैंडलिंग शामिल है।
16. हैंडलिंग दरें भिन्न होंगी जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि दस्तावेज हैंडलिंग फीस एयरलाइन द्वारा एकत्र की जाती है या डीसीएससी द्वारा।

(किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

